

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)
(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में तेरहवां संशोधन आदेश)

क्रमांक/ ७ /सी.जे.एम./2024

जबलपुर, दिनांक 22.02.2024

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2023 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा—

- 1— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 07 के कॉलम क्रं. 02 में श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का प्रतिस्थापित किया जाता है।
- 2— कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रं. 33 (श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी) के कॉलम क्रं. 4 में आरक्षी केन्द्र रांझी से उदभूत **(महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध से उत्पन्न होने वाले परिवाद को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन समाहित किया जाता है।
- 3— कार्यविभाजन आदेश की अनुसूची क्रं. 01 एवं क्रं. 02 को पूर्ण रूप से विलोपित कर निम्नानुसार अनुसूची क्रं. 01 एवं 02 प्रतिस्थापित की जाती है—

// अनुसूची क्रं. 01 //

1. जिला मुख्यालय जबलपुर, सिहोरा एवं पाटन हेतु अनुसूची क्रं. 01 के कॉलम नं. 02 में उल्लेखित सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में अथवा अत्यावश्यक ड्यूटी में व्यस्त होने पर सूची अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रभारी अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्य को निष्पादित करेंगे इसके पश्चात् भी यदि ऐसी स्थिति निमित्त होती है, कि कॉलम नं. 03, 04, 05 एवं 06 के सभी न्यायिक अधिकारी अवकाश पर रहते हैं, तो कॉलम नंबर— 06 के पीठासीन अधिकारी का कार्य प्रभार देखने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा कार्य निष्पादित किया जावेगा, यह क्रम आगे भी जारी रहेगा किंतु फिर भी उपरोक्तानुसार क्रम के जारी रहने के दौरान पुनः कॉलम नं.02 में अवकाश में रहने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम आ जाता है तो ऐसी दशा में कॉलम क्रं.02 के न्यायिक अधिकारी के अगले क्रमांक में वर्णित न्यायिक अधिकारी तत्पश्चात् उनके प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्य का निष्पादन किया जायेगा एवं यही क्रम आगे भी जारी रहेगा।
2. अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में ऐसे समस्त मामले भी शामिल होंगे, जिनमें संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में वह मामले शामिल नहीं होंगे, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हो।

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
01	02	03	04	05	06
1	श्री आलोक प्रताप सिंह	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	श्री रविन्द्र धुर्वे	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा
2	श्रीमती मंजू सिंह	प्रथम सदस्य किशोर न्याय बोर्ड	द्वितीय सदस्य किशोर न्याय बोर्ड		
3	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	शुश्री संजना मालवीय
4	श्रीमती सरिता जतारिया	श्रीमती किरण मलिक	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्री मनमोहन सिंह	श्री समीर कुमार मिश्र
5	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	श्री समीर कुमार मिश्र	श्रीमती सरिता जतारिया	श्रीमती किरण मुल्लिम	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव
6	श्री अम्बुज श्रीवास्तव	श्रीमती विधि डागलिया	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री आनंद बागरी
7	श्रीमती नमिता बौरासी	श्रीमती रुचि गोलस सगर	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्री वेद प्रकाश सगर	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे
8	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्रीमती किरण मलिक	श्रीमती सरिता जतारिया	श्री समीर कुमार मिश्र	श्रीमती ज्योत्सना आर्य

9	श्रीमती विधि डागलिया	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री किशनदेव सिंह पटेल	श्री आनंद बागरी	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना
10	श्री सगीर कुमार मिश्र	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	श्रीमती सरिता जतारिया	श्रीमती किरण मलिक
11	श्रीमती रुचि गोलस सगर	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्रीमती नमिता बौरासी	श्री कुंवर युवराज सिंह	श्रीमती प्रावी चौधरी
12	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	श्री रविन्द्र धुर्वे	श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय	श्रीमती विधि डागलिया	श्री कुंवर युवराज सिंह
13	सुश्री संजना मालवीय	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्री रविन्द्र धुर्वे	श्रीमती नमिता बौरासी
14	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्रीमती रुचि गोलस सगर	श्रीमती नमिता बौरासी	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	श्री फरहान मसूद कुरैशी
15	श्री वेद प्रकाश सगर	श्रीमती विधि डागलिया	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	श्रीमती नमिता बौरासी
16	सुश्री सपना कनौडिया	श्री फरहान मसूद कुरैशी	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	श्री मनमोहन सिंह कौरव
17	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	सुश्री संजना मालवीय	श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	श्रीमती विधि डागलिया
18	श्री कुंवर युवराज सिंह	श्रीमती रुचि गोलस सगर	श्रीमती प्रावी चौधरी	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी
19	श्री मनमोहन सिंह	सुश्री सपना कनौडिया	श्री फरहान मसूद कुरैशी	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	श्रीमती मृणालिनी सिंह
20	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्री आनंद बागरी	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती विधि डागलिया	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना
21	श्री फरहान मसूद कुरैशी	सुश्री सपना कनौडिया	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	श्री मनमोहन सिंह कौरव
22	श्री आनंद बागरी	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्रीमती विधि डागलिया	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती सैफी ताजिर तमन्ना
23	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्रीमती प्रावी चौधरी	श्री कुंवर युवराज सिंह	श्री फरहान मसूद कुरैशी	सुश्री सपना कनौडिया
24	श्रीमती किरण मलिक	श्रीमती सरिता जतारिया	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव
25	श्री भूपेन्द्र सिंह	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्री आनंद बागरी	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्रीमती विधि डागलिया
26	श्रीमती प्रावी चौधरी	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्री कुंवर युवराज सिंह	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	श्रीमती नमिता बौरासी
27	श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	श्री अम्बुज श्रीवास्तव	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	सुश्री संजना मालवीय
28	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्री आनंद बागरी	श्रीमती विधि डागलिया
29	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्री फरहान मसूद कुरैशी	सुश्री सपना कनौडिया	श्रीमती नेहा तोमर सिंह
30	श्री ऋषव दीक्षित	श्री अरविंद मीणा	सुश्री मुनमुन सिंह	सुश्री पूनम मंगरोलिया	सुश्री सपना कनौडिया
31	श्रीमती सुरभि कटकवार	श्रीमती ज्योति कुवाल	सुश्री पूनम मंगरोलिया	सुश्री मुनमुन सिंह	श्रीमती मृणालिनी सिंह
32	श्री अरविंद मीणा	श्री ऋषव दीक्षित	सुश्री पूनम मंगरोलिया	सुश्री मुनमुन सिंह	सुश्री सपना कनौडिया
33	सुश्री चारु नेमा	सुश्री अंकिता नागर	सुश्री कांजल रेनीवाल	सुश्री अभिसारिका माहुंने	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी
34	सुश्री अंकिता नागर	सुश्री चारु नेमा	सुश्री अभिसारिका माहुंने	सुश्री कांजल रेनीवाल	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी

35	सुश्री मुनमुन सिंह	सुश्री पूनम मंगरोलिया	श्रीमती सुरभि कटकवार	श्रीमती ज्योति कुवाल	श्री फरहान मसूद कुरैशी
36	सुश्री पूनम मंगरोलिया	सुश्री मुनमुन सिंह	श्रीमती ज्योति कुवाल	श्रीमती सुरभि कटकवार	श्री फरहान मसूद कुरैशी
37	सुश्री काजल रेनीवाल	सुश्री अभिसारिका माहुँने	सुश्री चारु नेमा	सुश्री अंकिता नागर	श्रीमती नेहा तोमर सिंह
38	श्रीमती ज्योति कुवाल	श्रीमती सुरभि कटकवार	सुश्री मुनमुन सिंह	सुश्री पूनम मंगरोलिया	श्रीमती मृणालिनी सिंह
39	सुश्री अभिसारिका माहुँने	सुश्री काजल रेनीवाल	सुश्री अंकिता नागर	सुश्री चारु नेमा	श्रीमती नेहा तोमर सिंह

पाटन

1	श्री दशरथ सिंह भिडे	श्रीमती शीतिका शर्मा	सुश्री उजाला झा	श्री रवि कुमार साहू	श्रीमती रूचि गोलस सगर
2	श्रीमती शीतिका शर्मा	सुश्री उजाला झा	श्री रवि कुमार साहू	श्री दशरथ सिंह भिडे	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी
3	सुश्री उजाला झा	श्री रवि कुमार साहू	श्री दशरथ सिंह भिडे	श्रीमती शीतिका शर्मा	श्रीमती किरण मलिक
4	श्री रवि कुमार साहू	श्री दशरथ सिंह भिडे	श्रीमती शीतिका शर्मा	सुश्री उजाला झा	सुश्री सौफी ताजिर तमन्ना

सिहोरा

1	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती सृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री उर्वशी यादव	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती श्रद्धा पांडेय
2	सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री	श्रीमती रेशमा खातून	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री सपना कनौडिया	श्री फरहान मसूद कुरैशी
3	सुश्री उर्वशी यादव	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती सृष्टि अग्निहोत्री	श्री आनंद बागरी	श्री किशन देव सिंह पटेल
4	श्रीमती रश्मि तिवारी	श्रीमती सृष्टि अग्निहोत्री	श्रीमती रेशमा खातून	सुश्री उर्वशी यादव	श्री ऋषव दीक्षित

नोट—

1. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण हो जाने तथा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्ही कारणवश सदस्य भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर को छोड़कर वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

// अनुसूची कं. 02 //

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित अपराधों के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन को छोड़कर शेष अपराधों के संबंध में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है—

कं.	आरक्षी केन्द्र	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
1	ओमती, सिविल लाइन, लार्डगंज, नया अपराध शाखा जबलपुर एवं साइबर काइम यूनिट	श्री फरहान मसूद कुरैशी	श्री आनंद बागरी	श्री तन्मय सिंह
2	मेडाघाट, ए.टी.एस/ एस.टी.एफ, सी. बी.आई, सी.आई. डी., आर्थिक अपराध एवं व्यापम से प्रस्तुत मामले	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्री कुवर युवराज सिंह	श्री फरहान मसूद कुरैशी
3	जी.आर.पी., आर.पी.एफ., केन्ट, विशेष रेल अधिनियम, विजय नगर, माढोताल, खमरिया, मदन महल	श्री मनमोहन सिंह कौरव	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री आनंद बागरी

4	आधारताल, बरगी, पनागर, कुंडम, तिलवारा, गढा, हनुमानताल	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती किरण मलिक	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना
5	एस.सी.एस.टी. एवं कोतवाली, बेलबाग, संजीवनी नगर, ग्वारीघाट	श्री आनंद बागरी	श्री मनमोहन सिंह कौरव	श्री फरहान मरसूद कुरैशी
6	गोरखपुर, गोहलपुर, बरेला, रांझी, गोरबाजार, घमापुर,	श्री कुंवर युवराज सिंह	श्री किशन देव सिंह पटेल	श्रीमती किरण मलिक
7	पाटन, बेलखेडा,	श्री रवि साहू	सुश्री उजाला झा	श्रीमती रितिका शर्मा
8	बरगवॉ	सुश्री उजाला झा	श्री रवि कुमार साहू	श्री दशरथ सिंह मिडे
9	कटंगी	श्री रवि कुमार साहू	श्री दशरथ सिंह मिडे	श्रीमती रितिका शर्मा
10	शहपुरा	श्री दशरथ सिंह मिडे	श्रीमती रितिका शर्मा	सुश्री उजाला झा
11	सिहोरा, खितौला, मझौली	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती श्रृष्टि अग्निहोत्री	श्रीमती किरण मलिक
12	गोरालपुर, मझगवां	सुश्री उर्वशी यादव	श्रीमती श्रृष्टि अग्निहोत्री	श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय

नोट :-

1. उपरोक्तानुसार धारा-164 द.प्र.सं. के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। धारा-164 द.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र का मामला कथन हेतु पेश हो तो क्रमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।

2. किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केंद्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केंद्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केंद्र के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर जे.एम.एफ.सी. जबलपुर द्वारा लिये जाएंगे।

3. उपरोक्त तालिका में यदि कॉलम क्रमांक 03, 04 एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो उनके स्थान पर **श्रीमती किरण मलिक/सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना/श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी /श्रीमती श्रद्धा पांडेय/सुश्री सपना कनौडिया** क्रमानुसार कथन लेंगे।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम से संबंधित धारा 164 द.प्र.सं. के कथनों हेतु निम्न महिला मजिस्ट्रेटगण को आरक्षी केंद्र का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

क	निम्नलिखित आरक्षी केंद्र से उदभूत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित अपराध एवं लैंगिक अपराध से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों में	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
1	कैंट, पनागर, तिलवारा, खमरिया ए.टी.एस. /एस.टी.एफ. सी. बी. आई. सी. आई. डी, आर्थिक अपराध जबलपुर एवं व्यापम	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्रीमती विधि डागलिया
2	विजय नगर, महिला थाना, सिविल लाइन,	श्रीमती किरण मलिक	सुश्री सपना कनौडिया	श्रीमती सैफी ताजिर तमन्ना
3	कुंडम, ओमती, कोतवाली, लार्डगंज, एस. सी./ एस. टी.,	श्रीमती श्रद्धा पांडेय	श्रीमती विधि डागलिया	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी
4	रांझी, हनुमानताल, माढोताल, बेलबाग, गढा, जी आर पी, आर पी एफ, विशेष रेल्वे अधिनियम	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	सुश्री सखना मालवीय
5	नया अपराध शाखा, मदन महल, बरगी, गोहलपुर, एवं साइबर काइम यूनित	श्रीमती विधि डागलिया	श्रीमती किरण मलिक	सुश्री सपना कनौडिया

6	बरेला, भेडाघाट, संजीवनी नगर, गोरखपुर	श्रीमती रश्मि अग्निहोत्री	श्रीमती श्रद्धा पांडेय	श्रीमती ज्योति सिंह टेकता
7	अधारताल, घमापुर, ग्वारीघाट गोराबाजार	श्रीमती नमिता बोरारी	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्रीमती सरिता जतारिया
6	पाटन, बेलखेडा, शहपुरा	सुश्री उजाला झा	श्रीमती शीतिका शर्मा	श्रीमती ज्योति सिंह टेकता
7	वरगवां, कटंगी	श्रीमती शीतिका शर्मा	सुश्री उजाला झा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना
8	सिहोरा, खितौला, मझौली	श्रीमती रेशमा खातून	श्रीमती श्रुष्टि अग्निहोत्री	सुश्री उर्वशी यादव
9	गौरालपुर, मझगवां	श्रीमती श्रुष्टि अग्निहोत्री	सुश्री उर्वशी यादव	श्रीमती रेशमा खातून

नोट :-

- उपरोक्तानुसार धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र के उन्हीं की न्यायालय में विचारण योग्य मामले (सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलो को छोड़कर) कथन हेतु पेश हो तो कमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।
- किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) श्रीमती सरिता जतारिया जे.एम.एफ.सी. जबलपुर द्वारा लिये जाएंगे।
- महिलाओं से संबंधित अपराध एवं लैंगिक अपराध से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में उपरोक्त तालिका में यदि कॉलम क्रमांक 03, 04 एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो उनके स्थान पर सुश्री सपना कनौडिया/सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना/श्रीमती मृणालिनी सिंह/श्रीमती श्रद्धा पांडेय /श्रीमती नेहा तोमर सिंह क्रमानुसार कथन लेंगे।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक / /सी.जे.एम./2024

जबलपुर, दिनांक 22.02.24

प्रतिलिपि:-

- कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
- सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर